

9/2/21

पत्रावली पेशा उम्पपदावापुस कथिवता  
 उपरा प्रविषी का जपना - आपेस क  
 पत्र कबरे कले का पेश किया  
 बरस सुकल साधारण बुक  
 रु ख्याति किया गोवा ल  
 सुकल जपना-पत्र क जपना बर  
 कके जपना - पत्र सुकल  
 कल- साधु सुकल 10 मिन  
 जाकल पत्रावली पेशा सुकल  
 सुकल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 184/2023

प्रार्थीगण :-

1. देवीचन्द पुत्र रतनाराम  
जाति विश्नोई निवासी पादरडी खुर्द तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. कालूराम पुत्र काछबाराम
2. रामेश्वरी पत्नी हरीराम
3. हरिकिशन पुत्र भारता  
जाति विश्नोई निवासी पादरडी खुर्द तहसील गुडामालानी
4. ग्राम पंचायत अरटवाव
5. AEN सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सांचोर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

—:: आदेश ::—

दिनांक :- 09.02.2024

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा विप्रार्थीगण बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।


हमने दोनों पक्षों की पत्रावली पर बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा पादरडी खुर्द पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान के खेत खसरा नम्बर 536/1 रकबा 0.2266 एवं खसरा नम्बर 694/690 रकबा 1.5298 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे वचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित

  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

खसरा सरहद मौजा पादरडी खुर्द पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान के खेत खसरा नम्बर 536/1 रकबा 0.2266 एवं खसरा नम्बर 694/690 रकबा 1.5298 हैक्टियर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक, गुडामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुडामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुडामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुडामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21/2/24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

  
( रामजी भाई कलबी )  
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी  
8/1/2024